भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0ई0आर0 वाद सं0–23/2015–16

कार्तिक कुमार महतो– प्रथम पक्ष

बनाम्

अरविन्द महतो– द्वितीय पक्ष

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

28.7.17

आदेश

अभिलेख उपस्थापित।

द्वितीय पक्ष द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रथम पक्ष द्वारा पक्ष रखने में अभिरूचि नहीं लिया जा रहा है।

प्रथम पक्ष कार्तिक कुमार महतो, पे0–भदेश्वर महतो साकिन–निपनियाँ अंचल–गोड्डा जमाबंदी नं0–98 दाग नं0–1058 एवं 3630 रकवा–00–01–10 एक कट्ठा दस धुर जमीन से विपक्षी अरविन्द महतो पे0–जयलाल महतो साकिन– निपनियाँ अंचल–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–626/रा0 दिनांक–24.04.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– निपनियाँ थाना नं0–544 जमाबंदी नं0–98 अन्तर्गत दाग नं0–1058 एवं दाग नं0–3630 रकवा–00–07–14 धुर किस्म–बाड़ी औवल जमाबंदी रैयत राम महतो वो शाम महतो वो बनवारी महतो पे0–लोचन महतो कौम–कोयरी साकिन– निपनियाँ सर्वे खतियान में अंकित है। स्थल जाँच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आवेदनकर्त्ता प्रथम पक्ष कार्तिक महतो खतियानी रैयत राम महतो के वंशज है तथा द्वितीय पक्ष अरविन्द महतो खतियानी रैयत बनवारी महतो के वंशज है जो एक ही जमाबंदी नं0–98 से संबंधित है। स्थानीय जाँच के क्रम में यह भी बतलाया गया कि अबतक उनके बीच आपसी बँटवारा भी नहीं हुआ है। उभय पक्षों का जमाबंदी संयुक्त है। आवेदित दाग नं0–1058 एवं 3610 के अन्दर अंश रकवा–00–01–01 धुर जमीन पर अरविन्द महतो का मकान निर्मित है।

दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। मामला आपसी बँटवारा से संबंधित है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि वे खतियानी रैयत के वंशज है। उनके हिस्से की भूमि पर उनका दखल है। श्याम महतो नावल्द है जिनके हिस्से की भूमि का बँटवारा अभी तक नही हुआ है।

अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन एवं द्वितीय पक्ष द्वारा बतलाये गये तथ्यो से यह स्पष्ट होता है कि यह मामला खतियानी रैयत के आपसी वंशजों के बीच बँटवारा का है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत यह मामला कार्रवाई योग्य नहीं है।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28.7.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

28.7.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।